न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 91/2022 (2022/275)

1. किशनलाल पुत्र स्वर्गीय नन्दा जाट निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

----वादी

♠बनाम♠

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर
2. रामधन पुत्र नंदा
3. ललिता पत्नि भागचन्द
4. जयसिंह पुत्र भागचन्द
5. गीता पत्नि जगदीश
6. किस्मत पुत्री जगदीश
7. कर्मा पुत्री जगदीश
8. धर्मा पुत्री जगदीश
9. रेखा पुत्री जगदीश
10. नारायण पुत्र जगदीश
11. राजेश पुत्र जगदीश

-- प्रतिवादीगण

12. मूली देवी पत्नि स्वर्गीय नन्दा
13. गीता देवी पुत्री स्वर्गीय नन्दा
14. मनसोर पुत्री स्वर्गीय नन्दा
15. लाली पुत्री स्वर्गीय नन्दा
16. सोभाग पुत्र स्वर्गीय नन्दा

समस्त जाति जाट निवासीगण केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

--प्रफोर्मा प्रतिवादीगण

उपस्थितः-

1. श्री रामसिंह राठौड – अधिवक्ता वादी
2. श्री हेमेन्द्र सिंह– अधिवक्ता प्रतिवादी
3. पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188, 209राज. काश्तकारी अधिनियम

-:: निर्णय ::-

दिनांक 17.07.2023

पत्रावली पेश हुई। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादवर्णित आराजीयात वाके ग्राम/कस्बा केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्नानुसार है–

(अ) विवरण आराजी संवत 2024 के अनुसार

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
464–493	900	9 बीघा 7 बिस्वा	बारानी 1

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

(ब) विवरण आराजी संवत 2041 के अनुसार

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
542–545	900	9 बीघा 7 बिस्वा	बारानी 1

(स) विवरण आराजी संवत 209–72 व 2076 के अनुसार

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
972–856	5401	1.51 हैक्टर	बारानी 1

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अनुसार वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है–

श्री बैजनाथ पुत्र कालू जाति जाट (फौत)

- भर (त्नि फौत)
- जग्गनाथ (अविवाहित नाऔलाद पुत्र फौत)
  - (नन्दा दत्तक पुत्र फौत)
    - मूली पत्नि
    - गीता पुत्री
    - किशनलाल पुत्र
    - मनसोर पुत्री
    - लाली पुत्री
- जुवारा (पुत्र)
- श्रीलाल (पुत्र)
- रघुनाथ (पुत्र फौत)

उक्त वर्णित आराजीयात वादी एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 6 की संयुक्त कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य की पुश्तेनी आराजीयात है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 6 का प्रत्येक का 1/6 हिस्सा है। उक्त तालिका (अ) में वर्णित आराजीयात वादी के पिता स्वर्गीय जग्गनाथ पुत्र बैजनाथ के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। स्वर्गीय जग्गनाथ अविवाहित थे तथा ना औलाद थे, उन्होंने अपने जीवनकाल में ही वादी के पिता स्वर्गीय नन्दा को गोद ले लिया था व वादी के पिता स्वर्गीय नन्दा ने अपने जीवनकाल में स्वर्गीय जग्गनाथ की सेवा चाकरी सार समहाल की थी। तालिका (ब) में वर्णित आराजीयात स्वर्गीय जग्गनाथ की मृत्यु के पश्चात वादी के पिता स्वर्गीय नन्दा पुत्र जग्गनाथ के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई। वादी के पिता नन्दा की दिनांक 28.01.2003 को मृत्यु के उपरान्त विरासत के आधार पर स्वर्गीय नन्दा के स्थान पर वादी एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी 2 लगायत 6 का

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

नाम दर्ज करने हेतु कई बार मौखिक निवेदन किया गया लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की गई। दिनांक 18.05.2022 को वादवर्णित आराजीयात की नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि दिनांक 03.05.2022 को नामान्तकरण संख्या 5115 पर अंजान व्यक्तियों द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर वादवर्णित आराजीयात में अपना नामान्तकरण विरासत के आधार पर दर्ज करवा रहे है जो कतई गलत एवं अवैध है जिन्हे रोका जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। नामान्तकरण संख्या 5115 दिनांक 03.05.2022 से विरासत के आधार पर अंजान व्यक्तियो के नाम खोला जा रहा है जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है व कतई गलत व अवैध है तथा प्रारम्भ से शुन्य है और इसे निरस्त किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 को अंजान व्यक्तियों का नामन्तकरण दर्ज नही करने हेतु तावाद निस्तारण जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने एवं नामान्तकरण संख्या 5115 दिनांक 03.05.2022 को अवैध व शुन्य घोषित किये जाने तथा वादी एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण 2 लगायत 6 का विरासत के आधार पर स्वर्गीय नन्दा के स्थान पर नामान्तकरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर कियाजाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गयां। पत्रावली में प्रतिवादीगण 2 लगायत 11 की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी का पेश किया गया जिस पर बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण 2 लगायत 11 को आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर संशोधित टाईटल पेश किया गया। प्रतिवादीगण को जवाब हेतु समुचित एवं अंतिम अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नही करने पर प्रतिवादीगण का जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली शहादत कराई गई। शहादत वादी के तहत गवाह श्री किशनलाल, श्री कैलाश, एवं लाली के शपथपत्र प्रस्तुत कर बयान कराये गये। प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के अधिवक्ता की ओर से कोई गवाह पेश नही करना जाहिर किया गया एवं प्रतिवादीगण 6 लगायत 11अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई जिससे पत्रावली में पक्षकारान की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

दौराने बहस वादी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वादवर्णित आराजीयात जमाबंदी संवत 2024 आराजी खसरा नम्बर 900 जगन्नाथ पुत्र बैजनाथ के नाम दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही थी। मृतक जगन्नाथ अविवाहित एवं नाऔलाद थे जिन्होने वादी के पिता स्व नन्दा को गोद लिया था जिससे स्व नन्दा स्व जगन्नाथ के विधिक वारिसान हुए एवं स्व जगन्नाथ की मृत्यु के उपरांत वादवर्णित आराजीयात स्व नन्दा के नाम विधिवत दर्ज हुई तथा जमाबन्दी संवत 2041 में उक्त वादवर्णित आराजी खसरा नम्बर 900 नन्दा पुत्र जगन्नाथ के नाम दर्ज होकर चली आ रही है। आराजी खसरा नम्बर 900 के वर्तमान खसरा नम्बर 5401 बने है एवं वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड 2069–72 व 2076 में आराजी खसरा नम्बर 5401 नन्दा पुत्र जगन्नाथ के नाम ही दर्ज रिकॉर्ड होकर चली आ रही है। नन्दा पुत्र जगन्नाथ की भी मृत्यु हो चुकी है लेकिन वर्तमान में भी आराजी राजस्व रिकॉर्ड में स्व नन्दा के ही नाम दर्ज चली आकर स्व नन्दा के

उपखण्ड अधिकारी केकडी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

विधिक वारिसान वादी एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के काबिज काश्त चली आ रही है। वादवर्णित आराजीयात पर वादी एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के अतिरिक्त अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई हक अधिकार नही है। प्रतिवादीगण 2 लगायत 11 जिनका वादी के पिता स्व नन्दा से किसी प्रकार का कोई संबंध सरोकार नही होने पर भी केवल एक ही नाम होने का नाजायज फायदा उठाते हुए षढयंत्र पूर्वक वादवर्णित आराजीयात में स्वयं के नाम का नामान्तकरण दर्ज करवा लिया है जो कि विचाराधीन है एवं कतई गलत व अवैधानिक है। वादवर्णित आराजीयात के साबिक से लेकर वर्तमान के सभी राजस्व रिकॉर्ड जिनकी प्रमाणित प्रतियां वादी द्वारा पत्रावली में पेश की है के अवलोकन से ही स्पष्ट है कि वादवर्णित आराजीयात वादी एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजीयात है ना कि प्रतिवादीगण की। अतः वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादवर्णित आराजीयात का वादी एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने, प्रतिवादीगण को वादवर्णित आराजीयात में स्वयं या अन्य किसी अंजान व्यक्ति के नाम नामांतकरण दर्ज नही करने/करवाने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने तथा वादवर्णित आराजीयात में वर्तमान में दर्ज नामान्तकरण संख्या 5115 जो कि गलत व अवैध है एवं वर्तमान में विचाराधीन है एवं प्रारम्भ से ही शुन्य है को निरस्त किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रतिवादीगण को जवाब हेतु समुचित अवसर दिये जाने के उपरांत भी पत्रावली में कोई जवाब पेश नही किया गया है, ना ही कोई ऐसा दस्तावेज व साक्ष्य पेश किया है जिससे साबित हो कि वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण 2 लगायत 11 का कोई संबंध सरोकार हो। प्रथम दृष्टया वादी का वाद प्राईमाफेसाई केस होना पाया जाता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा वादवर्णित आराजी वाके ग्राम/कस्बा केकड़ी तहसील केकड़ी की हाल जमाबंदी के खाता संख्या नया–पुराना 972–856 में दर्ज खसरा नम्बर 5401 रकबा 1.51 हैक्टर का वादी एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण 12 लगायत 16 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद की कार्यवाही करें। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें।

आदेश आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारीः— विकास पंचोली (आर.ए.एस)

1. किशनलाल पुत्र स्वर्गीय नन्दा जाट निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर ———वादी

♠बनाम♠

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर
2. रामधन पुत्र नंदा
3. ललिता पत्नि भागचन्द
4. जयसिंह पुत्र भागचन्द
5. गीता पत्नि जगदीश
6. किस्मत पुत्री जगदीश
7. कर्मा पुत्री जगदीश
8. धर्मा पुत्री जगदीश
9. रेखा पुत्री जगदीश
10. नारायण पुत्र जगदीश
11. राजेश पुत्र जगदीश —— प्रतिवादीगण
12. मूली देवी पत्नि स्वर्गीय नन्दा
13. गीता देवी पुत्री स्वर्गीय नन्दा
14. मनसोर पुत्री स्वर्गीय नन्दा
15. लाली पुत्री स्वर्गीय नन्दा
16. सोभाग पुत्र स्वर्गीय नन्दा

समस्त जाति जाट निवासीगण केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर ——प्रफोर्मा प्रतिवादीगण

वाद पत्रः— अंतर्गत धारा 88 ,89,188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बरः—राजस्व वाद 91/2022 (2022/275)

निर्णय दिनांकः—17.07.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकड़ी बहाजिरी श्री रामसिंह राठौड वकील वादी, श्री हेमेन्द्र सिंह, वकील प्रतिवादीगण 2 लगायत 5, व पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी हाजिर मुद्दावलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा वादवर्णित आराजी वाके ग्राम/कस्बा केकड़ी तहसील केकड़ी की हाल जमाबंदी के खाता संख्या नया—पुराना 972—856 में दर्ज खसरा नम्बर 5401 रकबा 1.51 हैक्टर का वादी एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण 12 लगायत 16 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद की कार्यवाही करें। इस आश्य का डिकरी पर्चा जारी किया जाता है। खर्चा फरिकेन अपना—अपना वहन करे।

चीज .....मुबलिक.....बाबत्.....

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे

वसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17.07.2023 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
ओहदा

मुददई	रूपया	पैसा	मुदयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान.			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर.			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक	———	———	मुतफरिक	———	———
मीजान	0	0	मीजान	0	0

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का वाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner